

## अध्याय 1

### राजस्व विभाग (सीमा शुल्क राजस्व)

#### केन्द्र सरकार के स्रोत-प्रवृत्ति, संघटन एवं प्रणालीगत मुद्दे

**1.1** भारत सरकार के स्रोतों में केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, खजाना बिलों द्वारा उठाए गए सभी ऋण, आन्तरिक एवं बाह्य ऋण एवं ऋणों के पुनः भुगतान से सरकार द्वारा प्राप्त सारा धन सम्मिलित हैं। केन्द्र सरकार के कर राजस्व स्रोतों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से राजस्व प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं। तालिका 1.1 केन्द्र सरकार की कुल प्राप्तियों का सार प्रस्तुत करती है, जो वित्तीय वर्ष 12 के लिए ₹ 5284052 करोड़<sup>1</sup> की राशि बनती हैं। केन्द्र सरकार की अपनी प्राप्तियाँ ₹ 1220875 करोड़ थीं, जो कुल प्राप्तियों का केवल 23.10 प्रतिशत बनती हैं। शेष 76.90 प्रतिशत प्राप्तियाँ उधारियों से आई हैं। इसकी अपनी प्राप्तियों में से, ₹ 889397 करोड़ (72.85 प्रतिशत) सकल कर प्राप्तियाँ हैं।

तालिका 1.1: संघ सरकार के स्रोत

	₹ करोड़
प्रत्यक्ष कर प्राप्तियाँ	493988
अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियाँ	395409
गैर-कर प्राप्तियाँ	276573
क. कुल राजस्व प्राप्तियाँ	1165970
ख. पूर्णगत प्राप्तियाँ	18088
ग. ऋण एवं अग्रिम	36817
घ. ऋण प्राप्तियाँ	4063177
भारत सरकार की कुल प्राप्तियाँ	5284052

टिप्पणी: कर प्राप्तियों में राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से समनुदेशित प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों की कुल प्राप्ति का भाग ₹ 255414 करोड़ सम्मिलित हैं।

#### राजस्व प्राप्तियाँ: मुख्य राशियों का संचलन

अप्रत्यक्ष कर-जीडीपी अनुपात के बड़े स्तर पर घटने के कारण, पूर्ववर्ती दशक के दूसरी जेनरेशन के सुधार के आरंभ एवं अन्त के दौरान अप्रत्यक्ष कर तीन वर्षीय औसत आधार पर कम हुए हैं।

**1.2** राजस्व प्राप्तियाँ, कर एवं गैर-कर स्रोत, दोनों से आती हैं। कर राजस्व में केन्द्र सरकार द्वारा लगाये गए आय एवं व्यय पर कर, सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क इत्यादि जैसे कर एवं शुल्कों की प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं। केन्द्र सरकार की सकल कर राजस्व प्राप्तियाँ वित्तीय वर्ष 12 में जीडीपी का 9.91 प्रतिशत थीं (तालिका 1.2)। केन्द्र सरकार का शुद्ध कर राजस्व वित्तीय वर्ष 11 में राज्यों के भाग के जीडीपी के 7.36 प्रतिशत से थोड़ा गिरकर वित्तीय वर्ष 12 में 7.06 प्रतिशत हो गया। उच्चतम स्तर वित्त वर्ष 08 में प्राप्त किया गया था। कुल कर राजस्व वित्तीय वर्ष 03 में अपने निम्नतम स्तर जीडीपी के 8.55 प्रतिशत तक गिर गया था। यदि कोई वित्त वर्ष 2003-05 के लिए

<sup>1</sup> आँकड़े अन्तरिम हैं। स्रोत: वित्त लेखे

तत्समान आँकड़ों के साथ वित्त वर्ष 2010-12 के लिए तीन वर्षीय औसत की तुलना करें तो जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सकल राजस्व प्राप्तियों ने 0.94 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्शाई है। संघ सरकार के कर राजस्वों में राज्यों का हिस्सा वि.व. 11 में जीडीपी के 7.36 प्रतिशत से वि.व 12 में 7.06 प्रतिशत तक जरा सा कम हुआ।

**बॉक्स 1 : रिपोर्टिंग मापदण्ड**

राजकोषीय राशियाँ जैसे कर एवं गैर-कर राजस्व वर्तमान बाजार मूल्यों पर जीडीपी के प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किये गए हैं। 2004-05 के साथ नई जीडीपी श्रृंखला को, जैसा कि केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया है, आधार के रूप में प्रयोग किया गया है। वित्त वर्ष 2011 तक आँकड़े वास्तविक हैं। वित्त वर्ष 2012 के लिए अन्तरिम आँकड़ों का प्रयोग किया गया है।

प्रवृत्ति वृद्धि दर (टीजीआर) को प्रासंगिक परिवर्तनों के लिए दर्शाया गया है। टीजीआर एक अवधि में हुए औसत वार्षिक प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है एवं वित्त वर्ष 2003 से वित्त वर्ष 2012 तक दशकीय औसत वृद्धि के समान है।

अधिकांश श्रृंखलाओं के लिए वार्षिक परिवर्तन भी दर्शाये गए हैं। ये पूर्ववर्ति वर्ष में इसके मूल्य के संबंध में एक निष्कर्ष के प्रतिशत परिवर्तन को दर्शाते हैं।

याच्छिक प्रभावों को दूर करने के विचार से रचनात्मक परिवर्तनों को दर्शाने के लिए जहाँ प्रासंगिक हो, तीन वर्षीय औसत अथवा केन्द्रीय प्रवृत्तियों के उपायों का प्रयोग किया जाता है।

औसत टैरिफ 6 अंकीय स्तर पर लागू सभी टैरिफ दरों का सामान्य औसत है।

टीडब्ल्यूए - व्यापार भारत औसत अथवा साधारणतः संग्रहण दर जो कुल राजस्व को आयातों के कुल मूल्य से भाग करने पर प्राप्त होती है। केवल आधारभूत सीमाशुल्क से प्राप्त राजस्व ही शामिल किया गया है।

**1.3** पिछले दशक में केन्द्र सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति वृद्धि दर (टीजीआर) 17.07 प्रतिशत प्रति वर्ष थी पिछले वर्ष से 2011-12 में वृद्धि 12.11 प्रतिशत थी, जो कि टीजीआर से कम थी।

तालिका 1.2: राजस्व प्राप्तियाँ : सकल एवं शुद्ध

वर्ष	सकल कर राजस्व	राज्यों का भाग	शुद्ध कर राजस्व	₹ करोड़	
				सकल प्रत्यक्ष कर	सकल अप्रत्यक्ष कर
वि.व 03	216266	56122	160144	83089	132542
वि.व 04	254350	65768	188582	105091	148534
वि.व 05	305047	78685	226363	132776	171273
वि.व 06	366172	94406	271766	165222	199702
वि.व 07	473534	120351	353182	230101	241906
वि.व 08	593161	151814	441347	312219	279497
वि.व 09	605309	160190	445119	333859	269989
वि.व 10	624527	164832	459696	377594	245374
वि.व 11	793308	219303	574005	445995	345371
वि.व 12	889397	255414	633983	493987	392674
टीजीआर	17.07	18.2	16.66	22	12.26

जीडीपी के प्रतिशत के रूप में					
वि.व 03	8.55	2.22	6.33	3.28	5.24
वि.व 04	8.96	2.32	6.65	3.70	5.23
वि.व 05	9.41	2.43	6.98	4.10	5.28
वि.व 06	9.91	2.56	7.36	4.47	5.41
वि.व 07	11.03	2.80	8.22	5.36	5.63
वि.व 08	11.89	3.04	8.85	6.26	5.60
वि.व 09	10.75	2.85	7.91	5.93	4.80
वि.व 10	9.64	2.54	7.10	5.83	3.79
वि.व 11	10.18	2.81	7.36	5.72	4.43
वि.व 12	9.91	2.85	7.06	5.50	4.38
क:औसत वि.व (03-05)	8.97	2.32	6.65	3.69	5.25
ख:औसत वि.व (10-12)	9.91	2.73	7.17	5.68	4.20
ग:ख-क	0.94	0.41	0.52	1.99	-1.05

स्रोत: वित्त लेखे

**1.4** इस अध्याय में पिछले दशक में वित्त लेखों, विभागीय लेखों तथा सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध प्रासंगिक आकड़ों, विभागीय एमआईएस, अनुपालन तथा निष्पादन लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आंकड़ों का प्रयोग करके अप्रत्यक्ष करों में प्रवृत्तियों, संघटन तथा प्रणालीगत मुद्दों पर चर्चा की गई है।

**1.5 परिशिष्ट-1 एवं परिशिष्ट 2** राजस्व विभाग (डीओआर)/केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) की भूमिका एवं उत्तरदायित्वों, अप्रत्यक्ष कराधान में मुख्य प्रक्रियाओं की संक्षिप्त पृष्ठभूमि, पिछले दशक में व्यवसाय एवं कर के वातावरण के बारे में बताता है।

**1.6** सीबीईसी का समग्र संस्वीकृत स्टाफ की संख्या 73806 है। सीबीईसी का संगठनात्मक ढाँचा **परिशिष्ट-3** में दर्शाया गया है।

#### अप्रत्यक्ष करों की वृद्धि - प्रवृत्ति एवं संघटन

**1.7** वित्तीय वर्ष 03 से वित्तीय वर्ष 12 के दौरान अप्रत्यक्ष करों का सापेक्ष विकास प्रस्तुत करती हैं (**तालिका 1.3**)। कुल कर राजस्व<sup>2</sup> में अप्रत्यक्ष करों का अंश अवधि के दौरान 61.29 प्रतिशत से 33.14 प्रतिशत तक घट गया। अप्रत्यक्ष कर ने वित्तीय वर्ष 03 से वित्तीय वर्ष 12 के दौरान 12.26 प्रतिशत की प्रवृत्ति विकास दर (टीजीआर) दर्शाई। इसके विपरीत इस अवधि के दौरान जीडीपी बढ़कर 15.20 प्रतिशत तथा कुल राजस्व कर बढ़कर 17.07 प्रतिशत हो गया था। जीडीपी वित्तीय वर्ष 03 में ₹ 25.31 लाख करोड़ से वित्तीय वर्ष 12 में ₹ 89.75 लाख करोड़ तक बढ़ा जबकि अप्रत्यक्ष कर

<sup>2</sup> स्रोत: सम्बद्ध वर्षों के संघ सरकार के वित्त लेखे, जीडीपी-फरवरी 2013 में केन्द्रीय संख्यिकी संगठन द्वारा उपलब्ध करवाए गए जीडीपी के आंकड़ें

2013 की प्रतिवेदन संख्या 14-संघ सरकार (अप्रत्यक्ष कर-सीमाशुल्क)

वित्तीय वर्ष 03 में ₹ 1.33 लाख करोड़ से वित्तीय वर्ष 12 में ₹ 3.93 लाख करोड़ तक बढ़ गया।

**तालिका: 1.3 अप्रत्यक्ष करों की वृद्धि**

₹ करोड़

वर्ष	अप्रत्यक्ष कर	जीडीपी	जीडीपी के % के रूप में अप्रत्यक्ष कर	सकल कर राजस्व	सकल कर राजस्व के % के रूप में अप्रत्यक्ष कर
वि.व 03	132542	2530663	5.24	216266	61.29
वि.व 04	148534	2837900	5.23	254350	54.80
वि.व 05	171273	3242209	5.28	305047	51.38
वि.व 06	199702	3693369	5.41	366172	48.14
वि.व 07	241906	4294706	5.63	473534	43.07
वि.व 08	279497	4987090	5.60	593161	38.39
वि.व 09	269989	5630062	4.80	605309	34.44
वि.व 10	245374	6477827	3.79	624527	29.83
वि.व 11	345371	7795314	4.43	793308	34.48
वि.व 12	392674	8974947	4.38	889397	33.14
टीजीआर	12.26	15.20	-	17.07	-

स्रोत: वित्त लेखे

**प्राप्त सीमाशुल्क की वृद्धि - प्रवृत्तियाँ और सरंचना**

**1.8** नीचे दी तालिका 1.4 वित्तीय वर्ष 03 से वित्तीय वर्ष 12 के दौरान संपूर्ण सीमाशुल्क राजस्व तथा जीडीपी की वृद्धि प्रस्तुत करती है। तालिका 1.3 दर्शाती हैं कि वि.व. 10 से वि.व. 12 की अवधि के दौरान जीडीपी के अंश के रूप में अप्रत्यक्ष कर राजस्व वित्तीय वर्ष 07 में 5.63 की उच्चतम प्रतिशतता प्राप्त करने के बाद कम हुआ। जबकि अप्रत्यक्ष करों के अंश के रूप में सीमाशुल्क राजस्व काफी हद तक पेट्रोलियम उत्पाद, सोने, कीमती पत्थरो, रत्नों तथा ज्वैलरी के आयातों में बढ़ोतरी के कारण वित्तीय वर्ष 03 में 33.89 प्रतिशत से वित्तीय वर्ष 12 में 38.17 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्शाता है (परिशिष्ट 7 एवं 8)।

**तालिका 1.4: सीमाशुल्क प्राप्तियों की वृद्धि**

वर्ष	जीडीपी	कुल कर राजस्व	कुल अप्रत्यक्ष कर	सीमाशुल्क प्राप्तियाँ	जीडीपी के % रूप में सीमा शुल्क राजस्व	कुल कर के % के रूप में सीमा शुल्क राजस्व	₹ करोड़ अप्रत्यक्ष करों के % के रूप में सीमाशुल्क
वि.व.03	2530663	216266	132542	44912	1.77	20.77	33.89
वि.व.04	2837900	254350	148534	48613	1.71	19.11	32.73
वि.व.05	3242209	305047	171273	57610	1.78	18.89	33.64
वि.व.06	3693369	366172	199702	65067	1.76	17.77	32.58
वि.व.07	4294706	473534	241906	86327	2.01	18.23	35.69
वि.व.08	4987090	593161	279497	104119	2.09	17.55	37.25
वि.व.09	5630062	605309	269989	99879	1.77	16.50	36.99
वि.व.10	6477827	624527	245374	83324	1.29	13.34	33.96
वि.व.11	7795314	793308	345371	135813	1.74	17.12	39.32
वि.व.12	8974947	889397	392674	149876	1.67	16.85	38.17

स्रोत: वित्त लेखे

### वित्त वर्ष 03 से 12 के लिए भारत का निर्यात तथा आयात

जीडीपी के अनुपात के रूप में सीमाशुल्क राजस्व लगभग 1.7 प्रतिशत पर स्थिर हो गया है।

**1.9** निर्यात में वित्तीय वर्ष 11 में 35.17 प्रतिशत (₹ 297388 करोड़) की तुलना में वित्तीय वर्ष 12 के दौरान 27.68 प्रतिशत (₹ 316359 करोड़) वृद्धि दर्ज की गई है (तालिका 1.6)। आयात में भी इसी अवधि के दौरान 23.45 प्रतिशत (₹ 319731 करोड़) से 39.28 प्रतिशत (₹ 661305 करोड़) तक की वृद्धि दर्ज की गई है। यह मुख्यतः पेट्रोलियम, तेल तथा ल्यूब्रीकेन्ट (पीओएल), सोना तथा चाँदी के अधिक आयात के कारण था। वित्तीय वर्ष 12 में निर्यात से अधिक आयात के साथ व्यापार घाटा वर्षवार 42.28 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए वित्तीय वर्ष 11 में जीडीपी के 6.93 प्रतिशत के प्रति जीडीपी के 9.87 प्रतिशत तक बढ़ गया। व्यापार घाटा रूपये की कीमत में आई भारी कमी, अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के मूल्य में बढ़ोतरी, कोयले के आयात के साथ ही साथ सोने तथा चाँदी, उर्वरक तथा खाद्य के बढ़े आयात, के कारण हुआ। यद्यपि वित्त वर्ष 13 की पहली तिमाही में निर्यात की तुलना में आयात में तेजी से कमी आई है। निर्यात में यूरोप तथा यूएस से माँग घटने के कारण पिछले तीन सालों में जुलाई में 14.8 प्रतिशत की भारी कमी दर्ज की गई है।

**1.10** पिछले दशक के दौरान पाँच महत्वपूर्ण आयात पेट्रोलियम उत्पाद, सोना, इलैक्ट्रॉनिक वस्तुएँ, मोती-मंहगे तथा कम मंहगे पत्थर इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ कर बाकी मशीनरी रहे। पेट्रोलियम उत्पाद ने पिछले साल की तुलना में वित्तीय वर्ष 12 में 54 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई जबकि सोने ने इसी अवधि के दौरान लगभग 46 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी हैं ये उपयोगी वस्तुएँ वित्तीय वर्ष 12 के दौरान कुल आयात का लगभग 63 प्रतिशत थीं। इसी प्रकार से, पिछले दशक के दौरान महत्वपूर्ण पाँच निर्यात वस्तुएँ पेट्रोलियम (कच्चा तथा उत्पाद), रत्न तथा गहने, यातायात उपकरण, मशीनरी तथा औजार एवं दवाईयाँ-फार्मास्यूटिकल्स तथा अच्छे रसायन थीं। पेट्रोलियम (कच्चा तथा उत्पाद) ने पिछले साल की अपेक्षा वित्तीय वर्ष 12 के दौरान 41 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी, जबकि यातायात उपकरण ने इसी अवधि के दौरान 37 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई है। वित्तीय वर्ष 12 के दौरान कुल निर्यात का लगभग 50 प्रतिशत ये उपयोगी वस्तुएँ थीं।

**1.11** वित्तीय वर्ष 12 के दौरान भारत को निर्यात करने वाले पाँच प्रमुख देश चीन, संयुक्त अरब अमीरात, स्वीटजरलैंड, सऊदी अरब तथा संयुक्त राज्य अमेरिका थे। इसी तरह वर्ष वित्तीय वर्ष 12 के दौरान आयात करने वाले प्रमुख पाँच देश संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, सिंगापुर तथा हांग कांग थे।

### कर आधार

**1.12** सीमा शुल्क राजस्व आधार में 9,64,791 जारी आयातक निर्यातक कोड (आईईसी)<sup>3</sup> समाविष्ट थे जिनमें से 6,79,177 वैद्य हैं। वर्तमान में 328 कार्यशील बन्दरगाह 105 ईडीआई, 68 नॉन-ईडीआई, 49 मैन्चूल तथा 106 सेज विद्यमान हैं। 2011-12 के दौरान निर्यात के 67.79 लाख तथा 62.33 लाख आयात के संव्यवहार किए गए हैं।

### सीमा शुल्क प्राप्तियां तथा आयात में वृद्धि

एकत्रित सीमाशुल्क राजस्व ने आयात के मूल्य के साथ क्रमवार वृद्धि नहीं हुई।

**1.13** पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 12 के दौरान आयात के मूल्य ने 39.28 प्रतिशत (तालिका 1.5) वृद्धि दर्शायी। वित्तीय वर्ष 12 में सीमाशुल्क राजस्व की वृद्धि 10.35 प्रतिशत थी वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 12 के दौरान आयातों की कीमत ने 132 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी थी, जबकि आयात शुल्क केवल 44 प्रतिशत बढ़ा। इस अवधि के दौरान गैर कृषि उत्पाद के लिए शीर्ष शुल्क दर 10 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहा (परिशिष्ट 4)।

तालिका 1.5: सीमाशुल्क प्राप्तियों तथा आयात में वृद्धि

वर्ष	आयात	वृद्धि	सीमाशुल्क प्राप्तियां	₹ करोड़ वृद्धि
वि.व.03	297206	21.21	44912	12.01
वि.व.04	359108	20.83	48613	8.24
वि.व.05	501065	39.53	57610	18.51
वि.व.06	660409	31.80	65067	12.94
वि.व.07	840506	27.27	86327	32.67
वि.व.08	1012312	20.44	104119	20.61
वि.व.09	1374436	35.77	99879	(-)4.07
वि.व.10	1363736	(-)0.78	83324	(-)16.58
वि.व.11	1683467	23.45	135813	62.99
वि.व.12	2344772	39.28	149876	10.35
<b>टीजीआर</b>		<b>25.96</b>		<b>17.83</b>

स्रोत: यूनियन बजट, एक्जिम डाटा-वाणिज्य मंत्रालय

सीमा शुल्क के एसएडी/सीवीडी घटकों में वृद्धि उत्पाद शुल्क तथा केन्द्रीय बिक्री कर की वांछित प्रवृत्ति से मेल नहीं हुआ है।

### अतिरिक्त सीमाशुल्क भुगतान तथा उसका घरेलू उत्पादन और बिक्री से संबंध।

**1.14** सीमाशुल्क में मूल ड्यूटी के अलावा, सीमाशुल्क स्पेशल एडिशनल ड्यूटी (एसएडी) और विशेष अतिरिक्त शुल्क के घटक शामिल हैं। हालांकि निर्यात संवर्धन योजनाओं तथा व्यापार समझौतों के उद्देश्य बिक्री कार्यों तथा उत्पादन दोनों को शामिल करके आयात प्रतिस्थापन बढ़ाना तथा लाभ प्राप्त करना हैं तथापि संघ सरकार के

<sup>3</sup> आईईसी डीजीएफटी दिल्ली द्वारा प्रत्येक आयातक/निर्यातक को जारी किया जाता है।

केन्द्रीय बिक्री कर पर आयात पर लगाए गए सीमाशुल्क के विशेष अतिरिक्त शुल्क एसएडी<sup>4</sup> तथा पर हुए व्यय की तुलना के विश्लेषण से पता चला कि वित्तीय वर्ष 01 में 11.79 प्रतिशत की वार्षिक दर पर ₹ 8371 करोड़ से वित्तीय वर्ष 11 में ₹ 19,230 करोड़ तक बढ़ा है परिणामस्वरूप एसएडी संग्रहण 58.99 प्रतिशत की वार्षिक दर पर वित्तीय वर्ष 01 में ₹ 2,442 करोड़ से वित्तीय वर्ष 11 में ₹18,288 करोड़ तक बढ़ा है जैसाकि **परिशिष्ट 5** में उल्लेखित है। एसएडी पर सीएसटी का दशकीय औसत अनुपात 20 प्रतिशत की वृद्धि से बढ़ते प्रचलन के साथ वित्तीय वर्ष 02 में 28.62 प्रतिशत से वित्तीय वर्ष 11 में 95.10 प्रतिशत की सीमा के बीच रहा।

**1.15** इसी प्रकार, केन्द्र सरकार के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्ति की तुलना में आयात पर लिए गए अतिरिक्त सीमाशुल्क (सीवीडी)<sup>5</sup> के विश्लेषण से विदित हुआ कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्ति में वित्तीय वर्ष 01 में ₹ 72,555 करोड़ से वित्तीय वर्ष 11 में ₹ 1,38,372 करोड़ तक 8.24 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि हुई, तदनुसार सीवीडी संग्रहण में भी **परिशिष्ट 6** में वर्णित 18.90 प्रतिशत की वार्षिक दर पर वित्तीय वर्ष 01 में ₹ 16,582 करोड़ से वित्तीय वर्ष 11 में ₹ 51,065 करोड़ की वृद्धि हुई। उत्पाद शुल्क के सीवीडी के अनुपात का दशकीय औसत वित्तीय वर्ष 04 में 16.51 प्रतिशत से वित्तीय वर्ष 09 में 44.68 प्रतिशत वृद्धि के रूझान के साथ 27 प्रतिशत रहा।

**1.16** इसके अतिरिक्त, कुछ पण्यों में विलोम शुल्क ढांचे से घरेलू उत्पाद मूल्य श्रंखला के प्रभावित होने की सूचना है। यह 2000 से पहले से बदतर हो गई विनिर्माण व्यापार की कमियों से भी प्रमाणित होता है, जिसने पूंजीगत माल के पक्ष में मांग की संरचना को बदल दिया था लेकिन इन्होंने इन वस्तुओं के घरेलू विनिर्माण में कोई सहायता नहीं की।

**वित्तीय वर्ष 03 से वित्तीय वर्ष 12 के दशक के दौरान समग्र व्यापार असंतुलन में वृद्धि सीमाशुल्क राजस्व के घटते बढ़ते प्रभाव ने कुछ मुख्य आर्थिक तत्वों को गम्भीर रूप से प्रभावित किया।**

**1.17** व्यापार असंतुलन में वित्तीय वर्ष 03 (**तालिका 1.6**) में ₹ 0.42 लाख से वित्तीय वर्ष 12 में ₹ 8.85 लाख करोड़ की वृद्धि हुई ऐसा मुख्यतः तेल और पेट्रोलियम उत्पादों (**परिशिष्ट 7**) और सोने (**परिशिष्ट 8**) के कुल आयात के कारण हुआ। इसी प्रकार, एफडीआई<sup>6</sup> के (**परिशिष्ट 9**) अन्तर्वाह और रीयर<sup>7</sup> के प्रभाव (**परिशिष्ट 10**) और मुद्रा स्फूर्ति ने गहराते मौजूदा घाटे के लेखा ने भुगतान संतुलन को बहुत अधिक प्रभावित किया। सोने, कीमती पत्थरों, रत्नों और आभूषण (सीमाशुल्क टैरिफ के अध्याय

<sup>4</sup> विशेष अतिरिक्त शुल्क सभी आयातित वस्तुओं के प्रति बकाया बिक्री कर वेट, स्थानीय कर अथवा अन्यथा पर उगग्रहण योग्य होता है।

<sup>5</sup> सीवीडी वह शुल्क है जो फिलहाल लगने वाले उत्पाद शुल्क के बराबर उद्ग्रहणीय है ऐसी वस्तुओं जैसे वह भारत में उत्पादित या निर्मित हुई है।

<sup>6</sup> विदेशी प्रत्यक्ष निवेश दीर्घावधि राजकोषीय सम्मुख की प्राप्ति में मदद करता है।

<sup>7</sup> वास्तविक प्रभावी विनिमय दर

71) के व्यापार असंतुलन में वित्तीय वर्ष 03 में ₹ 6693.47 करोड़ से वित्तीय वर्ष 12 में ₹ 208307.52 करोड़ तक की वृद्धि हुई।

**तालिका 1.6 समग्र व्यापार असंतुलन**  
**व्यापार असंतुलन**

वर्ष	आयात	वृद्धि प्रतिशत	सीमाशुल्क प्राप्ति	वृद्धि प्रतिशत	निर्यात	वृद्धि प्रतिशत	₹ करोड़ व्यापार असंतुलन
वि. व. 03	297206	21.21	44912	12.01	255137	22.06	-42069
वि. व. 04	359108	20.83	48613	8.24	293367	40.35	-65741
वि. व. 05	501065	39.53	57610	18.51	375340	27.94	-125725
वि. व. 06	660409	31.80	65067	12.94	456418	21.60	-203991
वि. व. 07	840506	27.27	86327	32.67	571779	25.28	-268728
वि. व. 08	1012312	20.44	104119	20.61	655864	14.71	-356448
वि. व. 09	1374436	35.77	99879	-4.07	840755	28.19	-533681
वि. व. 10	1363736	-0.78	83324	-16.58	845534	0.57	-518202
वि. व. 11	1683467	23.45	135813	62.99	1142922	35.17	-540545
वि. व. 12	2344772	39.28	149876	10.35	1459281	27.68	-885492

स्रोत: वाणिज्यिक विभाग, एक्जिम डाटा

### विभागीय निष्पादन की निगरानी

राजस्व विभाग के पास निष्पादन की अधिक स्पष्ट निगरानी और मूल्यांकन के लिए इसके व्यापार आवंटन, क्रियाकलापों, निष्पादन और सफलता सूचकों के विषयों के अनुसार उद्देश्यों के परिणामों के ढांचागत दस्तावेज नहीं हैं।

**1.18** हालांकि व्यापार नियमों डीओआर को आवंटित विषयों को निर्धारित करते हैं लेकिन परिणाम के ढांचागत दस्तावेज (आरएफडी)<sup>8</sup> में आवश्यक उपचारात्मक निष्पादन सूचकों के अभाव के कारण राजस्व नीति, रणनीति और इसके निष्पादन सूचकों के अभाव के कारण इसका राजस्व नीति, रणनीति और इसके निष्पादन को नापने की कार्यप्रणाली ज्ञात नहीं है। राजस्व विभाग परिणाम के ढांचागत दस्तावेज (आरएफडी) तैयार नहीं करता तथापि, ऐसा जवाबदेही केन्द्रों (आरसी) वाले भारत सरकार के 74 अन्य मंत्रालयों और विभागों द्वारा जाता है, समस्त वित्त मंत्रालय के लिए एक वार्षिक रिपोर्ट और परिणाम बजट ही है।

### सीमा शुल्क प्राप्ति में बजटीय मुद्दे

संशोधित अनुमानों और बजट अनुमानों में अस्थिर अन्तर ने सुझाया कि विभाग ने बजट पूर्व विश्लेषण और पूर्वानुमान के लिए कोई तर्कपूर्ण पद्धति नहीं अपनाई थी।

**1.19** बजट अनुमानों के वास्तविक संग्रहण में प्रतिवर्ष गिरावट के बावजूद सरकार ने वार्षिक बजट प्रस्तुत करने के दौरान आशावादी परिकल्पना जारी रखी। पिछले दशक के

<sup>8</sup> केन्द्रीय सचिवालय की निष्पादन निगरानी तथा मूल्यांकन प्रणाली (पीएमईएस) के अन्तर्गत आरएफडी को तैयार करना आवश्यक है।



दौरान बजट अनुमानों और वास्तविक संग्रहण में प्रतिशतता का अंतर (-)16.02 प्रतिशत से (+) 22.35 प्रतिशत के बीच था जैसाकि नीचे तालिका 1.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.7 बजट और संशोधित अनुमान, वास्तविक प्राप्ति

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्ति	वास्तविक प्राप्ति और बजट अनुमानों में अंतर	₹ करोड़	
					वास्तविक प्राप्ति एवं बजट अनुमानों में अन्तर की प्रतिशतता	वास्तविक प्राप्ति एवं संशोधित अनुमानों में अन्तर की प्रतिशतता
वि.व.-03	45193	45500	44912	(-) 281	(-)0.62	(-)1-29
वि.व.-04	49350	49350	48613	-737	(-)1.46	(-)1-49
वि.व.-05	54250	56745	57610	3360	6.19	1-52
वि.व.-06	53182	64215	65067	11885	22.35	1-33
वि.व.-07	77066	81880	86327	9261	12.02	5-43
वि.व.-08	98770	100766	104119	5,349	5.42	3-33
वि.व.-09	118930	108000	99879	(-)19051	(-)16.02	(-)7-52
वि.व.-10	98000	84477	83324	(-)14676	(-)14.98	(-)1-36
वि.व.-11	115000	131800	135813	(+)20813	18.10	3-04
वि.व.-12	151700	153000	149876	(-)1824	(-)1.20	(-)2-04

स्रोत: संघ बजट एवं वित्त लेखे

### प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (प्र.सीसीए) द्वारा लेखाकरण

**1.20** प्रधान मुख्य लेखा-नियंत्रक (प्र. सीसीए) केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा बोर्ड में भुगतान और लेखा संगठन का मुखिया है। सचिव (राजस्व) सीबीईसी का मुख्य लेखा प्राधिकारी है। अप्रत्यक्ष कर का लेखा-जोखा वेतन और लेखा कार्यालयों (पीएओज) द्वारा रखा जाता है जो प्रधान मुख्य लेखा-नियंत्रक के कार्यालय प्र. सीसीए के कार्यालय सीबीईसी के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

**1.21** प्रधान सीसीए के कार्यालय द्वारा हाल ही में भौतिक यंत्रों और प्रक्रियाओं को इलेक्ट्रॉनिक साधनों में बदल कर एक स्वचालित प्रक्रिया के माध्यम से अपने लेखा और रिपोर्टिंग के कार्य को करने के लिए अपने सभी पीएओज को साधन सम्पन्न करने की पहल की थी। इस आईटी पहल को "पी सीबीईसी (प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक-सीबीईसी)" कहा गया है।

**1.22** प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक ने सीबीईसी और इसकी क्षेत्रीय संरचनाओं के राजस्व और व्यय लेखों के अनुरक्षण के लिए और उपयोगकर्ता मंत्रालय के लिए उपयुक्त एमआईएस विकसित करने के लिए आईसीटी समाधान के रूप में "इलेखा और कॉपैक्ट" लगाया था। मूल समाधान योग्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रधान मुख्य लेखा-नियंत्रक सीबीईसी विभिन्न मंत्रालयों (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, डीओसी, डीजीएफटी) और लाईन कार्यालयों के वेतन एवं लेखा कार्यालय (पीएओज) के बीच समाधान उपलब्ध कराता है जिससे प्राप्त परिणामिक लेखा सूचना के अधिकांश का समन्वय हो और वह

उच्च एकाग्रता वाली भी है। मौजूदा लेखा वर्गीकरण अलग से ब्याज भुगतान (जैसा डीबीके/सीएसटी ब्याज भुगतान) का वर्णन नहीं करते। व्यय शीर्ष से किये गए रिफंड व्यय के तहत परिलक्षित नहीं होते हैं।

### **कर व्यय और सीमाशुल्क राजस्व**

**1.23** किसी भी कर प्रणाली का मुख्य उद्देश्य सरकार के व्ययों को पोषित करने के लिए राजस्व बढ़ाना है। बढ़े हुए राजस्व की राशि काफी हद तक कर आधारों और कर दरों द्वारा निर्धारित होती है। यह उपायों की श्रृंखला विशेषकर दरें, छूट, कटौती, घटौती, डिफेरेन्स ओर क्रेडिट-जो कर के स्तर और आवंटन को प्रभावित करते हैं का कार्य भी है। इन उपायों को कभी-कभी "कर अधिमत" भी कहा जाता है। इनका सरकार के राजस्व (जैसे उनकी लागत होती है) पर प्रभाव होता है और ये सरकार की नीतियों के चयन पर प्रभाव डालते हैं।

**1.24** कर अधिमत को प्राथमिकता प्राप्त कर दाताओं के लिए छूट भुगतान के रूप में देना जाना चाहिए। ऐसे अस्पष्ट भुगतानों को "कर व्यय" के रूप में दर्शाया जाता है और यह तर्क दिया जाता है कि उन्हें बजट में व्यय मदों के रूप में दिखाई देना चाहिए। इस संदर्भ में मूल मुद्दा कर नीति में से नहीं बल्कि प्रभाविकता और पारदर्शिता में से एक है- कार्यक्रम नियोजन की आवश्यकता है कि नीति के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाए ; और कार्यक्रम बजटिंग के लिए इनसे संबंधित कार्यक्रम शीर्षों के तहत ऐसे परिव्यय के समावेश की आवश्यकता होती है। कर व्यय कर संविधियों में अन्तर्समाहित व्यय करने वाले कार्यक्रम हैं।

**1.25** राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003, में अपेक्षा की गई है कि केन्द्र सरकार को जनहित के लिए इसके राजकोषीय संचालनों में अत्यधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करने चाहिए एवं अनुदानों की माँग एवं वार्षिक वित्तीय विवरण को तैयार करने में जितना व्यवहारिक हो, गोपनीयता को कम करना चाहिए। इसमें यह अनुबन्ध भी है कि केन्द्रीय सरकार को अनुदानों के लिए माँग एवं वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करते समय निर्धारित किये गए कुछ प्रपत्रों में ऐसी घोषणाएँ करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त एफआरबीएम नियमावली 2004 के नियम 6 में प्रावधान है कि जनहित के लिए अपने राजकोषीय संचालनों में अधिकतम पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, केन्द्र सरकार को अनुदानों की माँग एवम वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते समय, निर्धारित राजकोषीय सूचकों की गणना को प्रभावित करने या कर सकने वाले, लेखा मानदण्डों नीतियों एवं पद्धतियों में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन को भी बताना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि इन प्रावधानों का वित्त वर्ष 2007 के लिए अनुदानों की माँग एवं वार्षिक वित्तीय विवरण को प्रस्तुत करने के साथ से ही पालन होना चाहिए।

**1.26** राजस्व विभाग राजस्व छोड़े जाने की पद्धति का प्रयोग करता प्रतीत होता है। यद्यपि, आंकड़ों की उपलब्धता एवं विभाग की क्षमता के आलोक में एक पद्धति पर

दूसरी पद्धति अपनाने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं है। कर व्यय की गणना में इसके प्रकटीकरण एवं अधिक पारदर्शी कार्यप्रणाली के लिए एफसी-XIII की सिफारिश से स्थिति यथावत ही है।

### सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत छोड़ा गया सीमाशुल्क राजस्व

छोड़ा गया सीमाशुल्क राजस्व आयात में अनुरूप वृद्धि के बिना घातोंकीय रूप से बढ़ रहा है।

**1.27** केन्द्र सरकार ने सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(1) के अन्तर्गत शुल्क छूट की शक्तियों को जनहित में अधिसूचना जारी करने के लिए प्रत्यायोजित कर दिया गया है ताकि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित टैरिफ दरों से कम शुल्क दरें निर्धारित की जा सकें। अधिसूचना द्वारा निर्धारित की गई ये दरें "प्रभावी दरों" के रूप में जानी जाती हैं।

**1.28** इस प्रकार छोड़े गए राजस्व को भुगतान किये जाने योग्य शुल्क एवं छूट अधिसूचना जारी होने से संबंधित अधिसूचना की शर्तों के अनुसार भुगतान किये गये वास्तविक शुल्क के बीच अन्तर के रूप में परिभाषित किया गया है। दूसरे शब्दों में,

$$\text{छोड़ा गया राजस्व} = \text{मूल्य } x \text{ (शुल्क की टैरिफ दर-शुल्क की प्रभावी दर)}$$

**1.29** पिछले पाँच सालों के दौरान सीमाशुल्क प्राप्तियों की प्रतिशत के रूप में छोड़े गए राजस्व में वित्तीय वर्ष 2007 में 162 प्रतिशत से वित्तीय वर्ष 12 में 191 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्शाती है (तालिका 1.8)। वित्तीय वर्ष 12 के दौरान छोड़े गए राजस्व का 88 प्रतिशत कच्चा तथा खनिज तेल, हीरे तथा सोने, मशीनरी, खाद्य तेल तथा अनाज, रसायन तथा प्लास्टिक पर हुआ था। निर्यात संवर्धन योजना के तहत छोड़ा गया राजस्व वित्तीय वर्ष 12 के दौरान सीमाशुल्क प्राप्तियों का 46 प्रतिशत था (तालिका 1.9)।

तालिका 1.8: सीमाशुल्क प्राप्तियां तथा छोड़ा गया कुल सीमाशुल्क राजस्व

वर्ष	सीमाशुल्क प्राप्तियां (करोड़ ₹ में)	योजनाओं सहित वस्तुओं पर छोड़ा गया राजस्व	प्रतिदाय	अदा की गई फिरती	छोड़ा गया राजस्व+ प्रतिदाय+ डीबीके	₹ करोड़ छोड़ा गया राजस्व- सीमाशुल्क का प्रतिशत
वि.व. 07	86327	137105	479.71	2654.55	140239.26	162.45
वि.व. 08	104119	153593	440.69	3236.25	157269.94	151.05
वि.व. 09	99879	225752	912.14	12116.00	238780.14	239.07
वि.व. 10	83324	233950	2309.32	9219.00	245478.32	294.61
वि.व. 11	135813	230131	3474.05	8859.00	242464.05	178.53
वि.व. 12	149876	270693	3020.14	12331.00	286044.14	190.85

\*टिप्पण: पिछले वर्षों के आँकड़े उपलब्ध नहीं है। एफआरबीएम के तहत छोड़े गए राजस्व के आँकड़ों को 2006-07 के बजट में पहली बार लिया गया।

स्रोत: यूनिशन बजट, सीबीईसीडीडीएम अदा किया गया डीबीके - एआरज

2013 की प्रतिवेदन संख्या 14-संघ सरकार (अप्रत्यक्ष कर-सीमाशुल्क)

**1.30** योजनागत परित्यक्त शुल्क वि.व. 08 से वि.व. 12 में 65 प्रतिशत से 46 प्रतिशत था (तालिका 1.9) छोड़े गए राजस्व विवरण उद्देश्य को बेहतर ढंग से पूरा करेगा यदि विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं, व्यापार करारों अर सामान्य छूटों का राजस्व प्राप्ति निर्धारण यदि कोई किया गया हो कोई बजट दस्तावेज के हिस्से के रूप में उपलब्ध कराया जाता है।

तालिका 1.9: विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के अन्तर्गत परित्यक्त राजस्व

योजना का नाम	छोड़ी गई राशि/संवितरित					₹ करोड़
	वि.व. 08	वि.व. 09	वि.व. 10	वि.व. 11	वि.व. 12	
1. अग्रिम लाइसेंस	17654.13	12389.00	10089.21	19355.28	18306.12	
2. एसईजैड	1803.95	2324.29	3987.06	8630.16	4559.87	
3. ईओयू/ईएचटी/एसटीपी	18978.46	13400.65	8076.46	8579.87	4554.64	
4. ईपीसीजी	10521.39	7832.71	6720.25	10621.24	9672.28	
5. शुल्क फिरती (नीचे की क्रम सं. 8 को छोड़कर)	9015.77	12116.07	9218.96	9001.39	12513.55	
6. डीईपीबी (नीचे की क्रम सं. 7 को छोड़कर)	5311.50	7087.49	8008.45	8736.4	10404.37	
7. एसईजैड इकाईयों द्वारा प्राप्त डीईपीबी लाभ	29.29	4.52	19.51	20.15	4.52	
8. एसईजैड इकाईयों द्वारा प्राप्त फिरती लाभ	14.84	4.45	12.28	17.85	2.55	
9. डीएफआरसी	607.13	110.61	62.30	43.53	39.93	
10. स्थिति धारको की डीएफईसीसी योजनाएँ (एनटीएन. 53/03 - सीशुल्क)	471.62	342.32	179.74	96.6	69.93	
11. स्थिति धारकों की डीएफईसीसी (एनटीएन. 54/03 - सीशु)	267.95	75.40	54.16	59.79	120.42	
12. टारगेट वाली योजनाएं-अधिसूचना सं. 32/2005-सी.शु और 72/2006 सीशुल्क	923.32	1220.12	267.28	373.99	436.31	
13. विशेष कृषि और ग्राम अधिसूचना सं. 41-2005 सीशुल्क	537.97	2059.11	2868.68	1788.48	2263.34	
14. भारत सेवी योजना की अधिसूचना सं. 92/2004- सीशुल्क	641.70	530.53	514.86	542.18	555.46	
15. डीएफआईए योजनाएँ - अधिसूचना सं. 40/2006- सीशुल्क	1359.14	1267.60	1398.55	1403.99	1244.33	
16. फोकस मार्केट योजना - अधिसूचना सं. 91/2006- सीशुल्क	8.30	264.05	432.38	548.12	894.46	
17. फोकस उत्पाद योजना - अधिसूचना सं. 91/2006 -सीशुल्क	32.77	144.16	396.26	1209.46	3056.31	
<b>कुल</b>	<b>68179.23</b>	<b>61173.08</b>	<b>52606.39</b>	<b>71028.48</b>	<b>68678.39</b>	
<b>सीमा शुल्क प्राप्ति का प्रतिशत</b>	<b>65.48</b>	<b>61.25</b>	<b>63.13</b>	<b>52.30</b>	<b>45.82</b>	

स्रोत: सी.बी.ई.सी., वित्त मंत्रालय

**1.31** संघ बजट प्राप्ति वित्तीय वर्ष 2005 से कर खर्च के विवरण<sup>9</sup> देती रही है। हमने इन प्रस्तुतियों की सम्पूर्णता की जांच की और उन्हें अपूर्ण पाया। राजस्व बजट में फिरती प्रतिदाय और प्रशासनिक मंत्रालयों के नियमित व्यय शीर्षों द्वारा किए गए प्रतिदायों सहित, कुछ योजना आधारित प्रतिदायों पर विचार नहीं किया जाता। जैसाकि **तालिका 1.8** में वर्णित है।

**1.32** सीबीईसी (सीमाशुल्क) ने अपने उत्तर में कहा कि मंत्रालय की टीआरयू इकाई जो राजस्व बजट तैयार करती है वह राजस्व बजट में ऐसे प्रकटनों को जोड़ने के मामले की जांच करेगी।

**1.33** छोड़े गए राजस्व में मुख्य रूप से सहयोग करने वाली पहली पांच वस्तुएं हैं

- क. कच्चा तेल और खनिज तेल
- ख. मशीनरी
- ग. हीरा और सोना
- घ. खाद्य तेल
- ड. रसायन एवं प्लास्टिक्स

इसी प्रकार, देश वार छोड़े गए शुल्क से पता चलता है कि 98 प्रतिशत लेन-देन में शामिल लगभग 63 निर्यात करने वाले देश हैं।

### **वित्तीय वर्ष 11 से वि.व. 12 में विशेष आर्थिक ज़ोन का निष्पादन**

**व्यापक आर्थिक स्तर पर योजना के विश्लेषण का कोई परिणाम नहीं निकला।**

**1.34** एसईज़ेड अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत 579 अनुमोदन एसईज़ेड की स्थापना के लिए दिए गए, जिनमें से 384 अधिसूचित किए गए थे। इसके अतिरिक्त 49 अनुमोदनों को एसईज़ेड के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। लगभग 49 अनुमोदन थे (**अनुबंध-11**)। 3622 यूनितें अनुमोदित हैं। कुल ₹ 2,18,795 करोड़ का निवेश किया गया जिसके परिणामस्वरूप 9,45,990 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन हुआ। इसके अन्तर्गत आए। इसने 2010-11 में ₹ 3,64,478 करोड़ के निर्यात के साथ 15.19 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी (नीचे तालिका 1.10)। अधिनियम के लागू होने के बाद एसईज़ेड से निर्यात में भारी वृद्धि दर्ज होने के बावजूद आर्थिक और सरकारी स्तर पर कोई राजस्व परिणाम विश्लेषण नहीं हुआ। चूंकि, अधिकतर उद्धृत निष्पादन आंकड़ों को जब अचलन और पृथक्कृत किया जाता है तो एसईज़ेड और एसईज़ेड यूनितों के संबंध में कराधान नीति में परिवर्तन सहित मुक्त प्रभावों को दर्शाया जा सकता है। लोक लेखा समिति ने भी एसईज़ेड पर सीएजी के लेखापरीक्षा निष्पादन प्रतिवेदन पर विस्तार से चर्चा की है।

---

<sup>9</sup> 2004-05 से संघ बजट प्राप्ति का अनुबंध- 15 के रूप में

**तालिका 1.10 : वि.व 11 से वि व 12 में एसईज़ेड का निष्पादन**

2010-11 में निर्यात डीटीए बिक्री (सकरात्मक एनएफई के लिए गणना)	₹ 3,15,867.85 करोड़ (2009-10 से अधिक 43.11% की वृद्धि)
डीटीए बिक्री (असकरात्मक एनएफई के लिए गणना नहीं)	₹ 29093.02 करोड़ (कुल उत्पाद का 8.11%)
2011-12 में निर्यात डीटीए बिक्री (सकरात्मक एनएफई के लिए गणना)	₹ 13881.20 करोड़ (कुल उत्पाद का 3.87%)
डीटीए बिक्री (असकरात्मक एनएफई के लिए गणना नहीं)	₹ 3,64,477.73 करोड़ (2010-11 से अधिक 15.39% की वृद्धि)
	₹ 32,472.70 करोड़ (कुल उत्पादन का 8%)
	₹ 29,664.83 करोड़ (कुल उत्पादन का 7%)

स्रोत: डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू एसईजेडईडिया. एनआईसी. आईएन

**1.35** सीबीईसी ने बताया (अप्रैल 2013) कि महानिदेशक (डीआरआई) की अध्यक्षता में एक स्टडी ग्रुप ने अपनी अन्तरिम में सिफारिश की थी कि ;

- क. इकाइयों की राजस्व लेखापरीक्षा की प्रणाली तथा आवधिक आधार पर सेज में विकासकर्ता प्रचालन को आरम्भ किया जाए ;
- ख. न्यूनतम जाचों वाले स्वयं के प्रमाणपत्र पर निर्भर रहने की अपेक्षा, गलत घोषणा, प्रतिबन्धित अथवा खतरनाक सामग्री के आयात/ निर्यात के मामलों का वसूली से सम्बन्धित प्रावधानों सहित सीमाशुल्क अधिनियम में प्रावधानों को लागू किया जाए।
- ग. सेज में सीमाशुल्क क्रियाओं में कार्यरत अधिकारियों के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण की शक्तियां, सीमाशुल्क आयुक्तालय को दे दी जाए।

**1.36** सीबीईसी ने यह भी कहा कि क्योंकि सेज की योजना का प्रशासन वाणिज्य विंग के पास है तथा वे ही स्टडी ग्रुप के अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

**1.37** डीआरआई यूनिट (सीबीईसी) ने पाया कि एसईज़ेड यूनिटें बेकार मर्दों को निर्यात कर रही थी जिनका कोई वाणिज्यिक मूल्य, अवमूल्यन आयात नहीं था और उन्हें घरेलू क्षेत्र में समाशोधन करके और सीमाशुल्क भरने के बाद शिपिंग बिल में घोषित माल को बदला जा रहा था। एसईज़ेड का राजस्व परिणाम निर्धारण बजट दस्तावेज के भाग के रूप में उपलब्ध करवाया जा सकता है।

**1.38** सीबीईसी ने उत्तर दिया (अप्रैल 2013) कि आयातित माल पर छोड़ा गया शुल्क लगभग ₹ 45 करोड़ बनता था तथा फर्म के निदेश को गिरफ्तार कर लिया गया था तथा न्यायिक हिरासत में उसकी रिमाण्ड ली गई थी। उत्तर में लेखापरीक्षा के इस निष्कर्ष पर कुछ नहीं कहा गया था कि डीओआर द्वारा डीआरआई इन्पुट्स के मद्देनजर सेज के परिणामी आंकलन की आवश्यकता थी।

### सीमाशुल्क प्रक्रिया और सरलीकरण

आईसीटी आधारित समाधान (आईसीईएस) और स्वनिर्धारण सभी सीमाशुल्क लेन-देनों के लिए लागू नहीं है।

**1.39** सरकार ने सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को कारगर बनाना और विभिन्न व्यापार सरलीकरण उपाय लागू करना जारी रखा (**परिशिष्ट 12**) उठाए गए कुछ कदमों में ईडीआई का प्रारंभ आयात के साथ-साथ निर्यात के लिए "स्व निर्धारण" और जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) की वृद्धि की कवरेज जोखिम मापदंडों और आन साईट पोस्ट क्लीयरेंस लेखापरीक्षा (ओएसपीसीए) पर आधारित बेतरतीब रूप से चयनित बिलों की एंट्री पर निर्धारण करना सम्मिलित है। आयात और निर्यात कार्गो की निकासी में सीमाशुल्क के हस्तक्षेप के स्तर को उत्तरोत्तर कम करने की मंशा है। इसके अतिरिक्त एईओ (प्राधिकृत आर्थिक आपरेटर) और बड़ी करदाता इकाई (एलटीयू) को अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सरलीकरण हेतु प्रारंभ किया गया है। शीघ्र संस्वीकृति और 4% एसएडी के प्रतिदाय के लिए सामान्य रूप से लागू और विशेष रूप से एसीपी आयातकों के लिए 30 दिनों के निर्धारित समय में पूर्व लेखापरीक्षा के बिना प्रतिदाय की संस्वीकृति को सरल कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न स्क्रिपों जैसे डीईपीबी/पुरस्कार योजनाओं द्वारा दत्त 4% एसएडी के प्रतिदाय के उपयोग में ऐसे स्क्रिपों के हस्त पंजीकरण द्वारा छूट दी गई है।

### जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस)

**1.40** आरएमएस की क्षमता बहिर्वासियों की दर्शायी गई सुस्पष्टता पर और सभी एयर कार्गो, समुद्री बंदरगाहों, भू पत्तनों, एसईजेड/ईओयू के आईसीटी की प्रयोज्यता की कवरेज में वृद्धि पर निर्भर करती है।

### आन साईट पोस्ट क्लीयरेंस ऑडिट (ओएसपीसीए) योजना

**1.41** ओएसपीसीए के प्रारंभ के बाद, एक तरफ सीमा शुल्क विभाग ने एसीपी ग्राहकों की लेखापरीक्षा प्रभावी रूप से बंद कर दी जबकि दूसरी तरफ ओएसपीसीए योजना पूरी तरह से गतिमान नहीं हो पाई। हमने पाया कि वि.व 12 के दौरान, 6.81 लाख आयातकों/निर्यातकों के प्रति 260 एसीपी ग्राहकों में से केवल 51 की लेखापरीक्षा की गई थी। इससे पोस्ट ऑडिट ग्राहकों के मामलों में आयात का कम निर्धारण और पीसीए आधारित ग्राहकों के मामले में विलम्बों के कारण राजस्व का रिसाव हो सकता है जोकि व्यापार को कमजोर करने वाला साबित हो सकता है। आईसीटी एप्लीकेशन (आईसीईएस) के वर्तमान स्तर के संवर्धन की जरूरत है और प्रभावी सुविधा के लिए सभी आधिकारिक सीमाशुल्क लेनदेनों को स्वनिर्धारण देने की आवश्यकता है।

**1.42** सीबीईसी ने कहा कि जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी एसीपी आयतकों की वर्ष में एक बार लेखापरीक्षा अवश्य की जानी चाहिए, योजना अक्टूबर 2011 में शुरू किए जाने के बाद वित्तीय विवरण 2012 के दौरान 51 एसीपी की लेखापरीक्षा की गई थी।

**1.43** उत्तर लेखापरीक्षा के इस निष्कर्ष का समाधान नहीं करता कि आईसीईएस तथा आरएमएस को दिया गया स्वयं निर्धारण सभी निर्यातकों/आयातकों को नहीं दिया गया था (पैराग्राफ 1.39-1.41)।

#### **लेन-देन की लागत में कमी**

**1.44** व्यापार सुविधा और कर प्रशासन में दक्षता के मुद्दे आन्तरिक रूप से निर्यात के लेन-देन की लागत में कमी दर्शाते हैं जिससे निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाने में भी मदद मिल सकती है। लेन-देन लागत विश्लेषण पर वाणिज्य विभाग की टास्क फोर्स रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक डुईंग बिजेनस रिपोर्ट द्वारा बनाई गई यूएस \$ 13 बिलियन (लागत का 7-10 प्रतिशत) के आंकलन को स्वीकार करती है। इसने सात मंत्रालय से संबंधित व्यापार नीतियों के कानून, विनियमन और प्रशासन को लागू करने से संबंधित लागत पर विचार किया जिसने 44 मुद्दों और 23 मुद्दों के सुधार पर "स्थायी रूप से" ₹ 2100 करोड़ के अनुमानित लाभ की पहचान की।

**1.45** सीबीईएसी ने कहा (अप्रैल 2013 कि सीमाशुल्क सम्बन्धी सिफारिशों के बारे में निर्देश क्षेत्रीय कार्यालयों को जारी कर दिए गए थे। सीबीईसी ने यह भी कहा कि उन्होंने चयनित बन्दरगाहों तथा हवाईअड्डों पर 24 x 7 निकासी प्रचालन, एसीपी योजना के कार्यक्षेत्र में वृद्धि, एसीईएस तथा आईसीईएस, ईडीआई तथा सेज आटोमेशन सॉफ्टवेयर के एकीकरण पर सैद्धान्तिक रूप से सहमत होने के बावजूद निर्यात संवर्धन योजना के बारे में सामान्य बान्ड सुविधा प्रारम्भ करने जैसे विभिन्न अनुरक्षण कदम शुरू किए थे।

#### **सीबीईसी में मानव संसाधन प्रबंधन के उद्देश्य**

**1.46** महानेदशक मानव संसाधन विकास का गठन नवम्बर 2008 में किया गया था जिसकी संवर्ग प्रबंधन, निष्पादन प्रबंधन (समूह और व्यक्तिगत स्तर का), क्षमता निर्माण, सामारिक दृष्टि विकास और कल्याण और एक 73806 मजबूत कार्य बल के लिए संरचनात्मक डिविजन से संबंधित विशिष्ट भूमिका है। डीजी निरीक्षण द्वारा 1 फरवरी 2013 को सीबीईसी की पाँचवर्षीय नीति योजना के लिए इनपुट मांगा गया ताकि;

क. जीडीपी अनुपात हेतु अप्रत्यक्ष कर को सुधारा जा सके;

ख. एक सुदृढ़ आरएमएस स्थापित किया जा सके जो सभी पत्तनों और लेने-देनों को कवर किया जा सके;

ग. कर्मचारियों और अधिकारियों को आईसीईएस का निपुणता से प्रयोग करने का प्रशिक्षण दिलाया जा सके;

घ. तकनीकी लेखापरीक्षा प्राक्रियाओं को सुदृढ़ किया जा सके;

**1.47** आरएफडी वित्त वर्ष 2013 पहले ही मापन द्वारा महत्वपूर्ण गतिविधियों को कवर करता है और जरूरी नहीं कि सफलता संकेतक सरकार द्वारा स्वनिर्धारण, ओएसपीसीए, आरएमएस और आईसीटी, सीसीईएस के प्रयोग के मामले में पहले से लिए गए कुछ नीति निर्णयों के साथ मेल खाएं। हालांकि सीमाशुल्क आन्तरिक रूप से सरकार की अन्य कर और विदेश नीतियों के साथ संबंधित है, स्वतंत्रता के आनंद के लिए प्रक्रिया



को वर्तमान स्तर पर और रणनीति को वर्तमान उपलब्ध स्वयत्ता एवं भविष्य की संभावनाओं के अनुसार विकसित करने की आवश्यकता है। उपयुक्त कौशल को पैना करने के बाद पुनर्गठन और पुर्नाबंटन के लिए प्रणालीगत स्तर को देखने और उसके बाद क्षमता अन्तराल को भरने की आवश्यकता है।

**1.48** सीबीईसी लेखापरीक्षा से इस बात पर सहमत था (अप्रैल 2013) कि मानव संसाधनों के पुनर्गठन तथा पुनर्स्थापन हेतु नीतिगत स्तर पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता थी। उसने फिर भी यह कहा कि स्वयं निर्धारण तथा ओएसपीसीए जैसे हाल में ही शुरू किए गए उपायों के लिए आरएफडी प्रचालों के मद्देनजर बैन्चमार्क निर्धारित करना इन योजनाओं को लागू करने से सम्बन्धित प्रारम्भिक बाधाओं के लिए अविवेकपूर्ण कदम होगा।

**1.49** लेखापरीक्षा मानती है कि सीबीईसी (सीमाशुल्क/डीओआर) की सटीक आरएफडी रिपोर्टिंग के लिए सफलता संकेतकों को परिभाषित करते हुए मापक कार्यप्रणाली आवश्यक है।

### सीमाशुल्क की बकाया राशि

विभाग के वसूली तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है।

**1.50** 31 मार्च 2012 को निर्धारित सीमाशुल्क की राशि जोकि 31 दिसम्बर 2012 तक वसूली कर ली जानी थी ₹ 10506 करोड़ थी। सीमाशुल्क राजस्व की ₹ 7420.42 करोड़ की राशि जिसकी माँग मार्च 2012 तक जारी की गई थी जो विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2012 की समाप्ति तक उगाही नहीं गई थी (तालिका 1.11)। इसमें से ₹ 2709.59 करोड़ निर्विवादित थे। तथापि, ₹ 1039.88 करोड़ निर्विवादित राशि की भी पाँच वर्षों की अवधि से अधिक से वसूली नहीं की गई थी। विभाग के वसूली तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है।

**1.51** सीबीईसी ने उत्तर दिया (अप्रैल 2013) कि बकाया राजस्वों की उगाही/परिसमापन के लिए बहुआयामी कार्य के निदेश जारी किए गए थे। मुख्य आयुक्त (बकाया कर राजस्व) ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को एक कार्ययोजना परिचालित की है जिसमें कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस बनाने, सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 142 के तहत मामलों की विशेष निगरानी करने आदि शामिल हैं ताकि इस दिशा में समयबद्ध परिणाम प्राप्त हो सकें। सीबीईसी ने यह भी कहा कि मुख्य आयुक्त दोषियों के नाम प्रकाशित करने तथा सूचना देने वालों को ईनाम देने के लिए भी कदम उठा रहे थे। बकाया राशि की वसूली में हुई प्रगति की निगरानी के लिए जोनों का निरीक्षण किया गया था। 26 मार्च 2013 की बैठक में डीओआर ने सूचना दी थी कि कर्तव्यनिष्ठ महानिदेशक वले कर वसूली तन्त्र बहुत विस्तृत था। ₹ 9000 करोड़ की वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा इस लक्ष्य के प्रति विभाग ने अच्छा कार्य किया है। सीबीईसी पिछले दो वर्षों की वसूली के विवरण देने को भी सहमत हुआ।

2013 की प्रतिवेदन संख्या 14-संघ सरकार (अप्रत्यक्ष कर-सीमाशुल्क)

**1.52** लेखापरीक्षा इसी बात पर कायम है कि विभाग के वसूली तंत्र को मजबूत करने की जरूरत हैं।

**1.53** सीमाशुल्क राजस्व संग्रहण आंकड़ों से एक और दिलचस्प प्रवृत्ति का पता चला जिसमें वह फरवरी /मार्च के माह में सबसे अधिक है और बाद में अप्रैल-जून के महीनों में प्रतिदाय (फिरती सहित) अधिकतम था। इससे राजस्व लक्ष्यों की तदर्थ प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों का पता चलता है। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि सरकार के, बकाया या ऋण की दक्षता का स्वतंत्र विश्लेषण करवाया जाए और जिम्मेदार अधिकारियों के साथ-साथ फर्म, दोनो पर लागू मौजूदा दंडात्मक प्रावधान किए जाएं। बकाया पर सूचना का सार निम्नलिखित तालिका 1.11 में दिया गया है:-

**तालिका 1.11: सीमाशुल्क का बकाया**

₹ करोड़

जोन	विवादग्रस्त राशि				अविवादित राशि				कुल जोड़ (कालम 5+9)
	< पाँच वर्ष	पाँच वर्ष लेकिन < दस वर्ष	> दस वर्ष	जोड़ (कालम 2+3+4)	< पाँच वर्ष	पाँच वर्ष लेकिन < दस वर्ष	> दस वर्ष	जोड़ (कालम 6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. दिल्ली	222.38	40.68	34.29	297.35	210.04	93.69	27.64	331.37	628.72
2. दिल्ली - निवारक	16.96	3.99	0.74	21.69	4.90	2.65	6.00	13.55	35.24
3. दिल्ली के.उ.शु	54.41	1.66	0.00	56.07	1.51	14.50	0.00	16.01	72.08
4. जयपुर	4.58	6.33	21.21	32.12	0.00	1.62	6.14	7.76	39.88
5. चंडीगड	17.11	3.99	1.26	22.36	4.90	2.65	6.00	13.55	35.91
6. लखनऊ	0.31	0.00	0.00	0.31	3.95	0.00	0.00	3.95	4.26
7. मेरठ	42.59	1.72	12.38	56.69	284.63	96.00	0.43	381.06	437.75
8. नागपुर	196.87	23.60	0.82	221.29	0.32	0.32	0.14	0.78	222.07
9. पूणे	57.40	40.27	6.81	104.48	4.85	19.42	7.51	31.78	136.26
10. मुंबई - 1	283.83	74.20	18.28	376.31	114.07	128.27	51.6	293.94	670.25
11. मुंबई - 1 के.उ.शु	29.75	12.49	81.52	123.76	25.17	6.64	0.00	31.81	155.57
12. मुंबई - 2	46.42	3.08	0.00	49.50	413.14	13.80	0.00	426.94	476.44
13. मुंबई - 2 के.उ.शु	16.92	39.55	12.18	68.65	0.00	0.00	0.00	0.00	68.65
14. मुंबई - 3	135.15	150.87	63.97	349.99	81.57	40.00	102.20	223.77	573.76
15. मुंबई - एलटीयु	67.12	0.00	0.00	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00	67.12
16. बड़ोदा	86.44	11.78	0.92	99.14	5.98	3.59	0.34	9.91	109.05
17.अहमदाबाद	654.84	228.21	59.49	942.54	4.71	4.69	33.30	42.70	985.24
18.अहमदाबाद- के.उ.शु	54.25	1.32	0.00	55.57	3.98	0.00	0.50	4.48	60.05
19.भोपाल - के.उ.शु	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	12.15	0.00	12.15	12.17
20.चेन्नै - सीशु	101.43	128.31	23.00	252.74	266.83	176.47	25.09	468.39	721.13
21.चेन्नै - के.उ.शु	160.58	0.01	0.56	161.15	3.41	0.28	0.14	3.83	164.98
22.चेन्नै - निवारक	76.26	4.00	0.84	81.10	59.30	2.76	0.75	62.81	143.91
23.बंगलोर - सीशु	224.58	8.92	13.4	246.90	43.23	6.13	7.85	57.21	304.11
24.बंगलोर - के.उ.शु	16.92	2.67	0.26	19.85	1.19	31.32	4.06	36.57	56.42
25.हेदराबाद	91.33	13.72	9.93	114.98	3.61	27.95	8.5	40.06	155.04
26.कोचिन	11.11	5.16	8.27	24.54	28.75	6.22	2.51	37.48	62.02
27.कोयम्बटूर	108.19	2.79	27.87	138.85	10.42	1.02	0	11.44	150.29
28.मैसूर	9.63	0	9.68	19.31	1.03	2.34	0.00	3.37	22.68
29.विशाखापटनम	159.59	25.09	9.31	193.99	19.98	37.46	1.85	59.29	253.28
30.कोलकत्ता - सीशु	385.28	46.13	55.85	487.26	62.40	11.37	0.32	74.09	561.35

जोन	विवादग्रस्त राशि				अविवादित राशि				कुल जोड़ (कालम 5+9)
	< पाँच वर्ष	पाँच वर्ष लेकिन < दस वर्ष	> दस वर्ष	जोड़ (कालम 2+3+4)	< पाँच वर्ष	पाँच वर्ष लेकिन < दस वर्ष	> दस वर्ष	जोड़ (कालम 6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.कोलकता - के.उ.शु	2.06	0	0	2.06	2.60	0	0	2.60	4.66
32.भुवनेश्वर - के.उ.शु	0.00	18.25	2.27	20.52	2.05	0.48	0.51	3.04	23.56
33.पटना - सीशु (निवारक)	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	2.71	0.00	2.71	2.76
34.शिलोंग - के.उ.शु	2.57	0.00	0.00	2.57	1.19	0.00	0.00	1.19	3.76
<b>जोड़</b>	<b>3336.86</b>	<b>898.84</b>	<b>475.13</b>	<b>4710.83</b>	<b>1669.71</b>	<b>746.50</b>	<b>293.38</b>	<b>2709.59</b>	<b>7420.42</b>

स्रोत: विभागीय एमआईएस, सीबीईसी, सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

### महानिदेशक मूल्यांकन के कारण उगाहा गया अतिरिक्त राजस्व

**1.54** महानिदेशक मूल्यांकन (डीजीओवी) द्वारा दिए गए इनपुट्स के परिणामस्वरूप पिछले पाँच वर्षों के दौरान उगाहा गया अतिरिक्त राजस्व को नीचे तालिका 1.12 में दिखाया गया है। संग्रहीत सीमाशुल्क राजस्व के प्रति उगाही गई राशि का अनुपात अमहत्वपूर्ण है (0.76 प्रतिशत)। यद्यपि, घटे हुए टैरिफ और वर्गीकरण मूल्यांकन के बृहत् अन्तर को बड़े महत्व के लिए सन्तुलित किया जा सकता है।

#### तालिका 1.12: महानिदेशक, मूल्यांकन के कारण उगाहा गया अतिरिक्त राजस्व

वित्तीय वर्ष	उगाही गई राशि (करोड़ ₹)	पिछले वर्ष से वृद्धि/कमी %
वि.व. 08	735	+17.22%
वि.व. 09	727	-1.09%
वि.व. 10	790	+8.67%
वि.व. 11	930	+17.70%
वि.व. 12	1096	+17.86%

स्रोत: वित्त मंत्रालय, वार्षिक प्रतिवेदन

### रक्षोपाय, एन्टीडम्पिंग और प्रति आर्थिक सहायता उपायों के कारण व्यापार उपचारात्मक शुल्क

**1.55** सीमाशुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और निर्धारण) नियमावली, 1997 के अन्तर्गत, महानिदेशक, रक्षोपाय भारत को एक वस्तु के बढ़े हुए आयात के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के लिए "गम्भीर क्षति" अथवा "गम्भीर क्षति की संभावना" के होने की जाँच करने और उनके परिणामों को केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करने की अपेक्षित है। महानिदेशक, रक्षोपाय ने 25 जाँचे की जिन्हें परिशिष्ट 13 में दिखाया गया है। 2010 से रक्षोपाय उपाय परिमाणात्मक प्रतिबन्ध के रूप में भी हो सकते हैं।

### एन्टी डम्पिंग शुल्क

**1.56** भारत में प्रथम एन्टीडम्पिंग जाँच 1992 में प्रारम्भ की गई थी। इस अवधि के दौरान डीजीएडी को एन्टी डम्पिंग जाँचे प्रारम्भ करने के लिए बहुत अधिक संख्या में आवेदन-पत्र प्राप्त हुए। इन आवेदन-पत्रों की जाँच करने के पश्चात् 281 मामलों में

एन्टी-डम्पिंग जाँचें प्रारम्भ की गईं जिसमें 35 देश/राज्य क्षेत्र (25 ईसी देशों को एकल राज्य क्षेत्र के रूप में लेते हुए) शामिल थे।

**1.57** चीन पीआर, ईयू, चाइनेज टाईपे, कोरिया आरपी, जापान, यूएसए, सिंगापुर, इन्डोनेशिया, थाइलैंड, रूस आदि एन्टी-डम्पिंग जाँचों में प्रमुख देश हैं।

**1.58** मुख्य उत्पाद वर्ग जिस पर एन्टी-डम्पिंग शुल्क उद्ग्रहीत किया गया हैं केमिकल्स एवं पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, फाइबर/यार्न, इस्पात एवं अन्य धातु और उपभोक्ता वस्तुएं। संरक्षक उपायों के कारण संग्रहीत शुल्क कुल सीमा शुल्क की तुलना में नाम मात्र है। संरक्षक शुल्क कुल सीमाशुल्क का नगण्य (0.020 प्रतिशत वर्ष 2011 में) भाग बनता है। तथापि, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में आयातकों द्वारा एन्टी डम्पिंग शुल्क से बच निकलने के तरीके देखे गए हैं।

#### **कर अपवंचन, जाँच और जब्ती**

शुल्क अपवंचन मामलों की प्रवृत्ति बढ़ रही है। शुल्क अपवंचन में नई प्रवृत्ति सोना, फ्लोरा एवं फोना, जाली भारतीय मुद्रा नोट, मेमोरी कार्ड, कच्चे हीरों के मामले में हैं।

**1.59** विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत शुल्क-अपवंचन मामलों के विश्लेषण के दौरान यह देखा गया था कि पिछले 5 वर्षों (2007-08 से 2011-12) के दौरान संख्या में एवं राशि दोनों के मामलों में अपवंचन की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। जैसाकि **परिशिष्ट 14** में दिखाया गया है। उपर्युक्त सन्दर्भित पाँच वर्षों की अवधि के दौरान शुल्क अपवंचन मामलों 434 से बढ़कर 527 और ₹ 726 करोड़ से ₹ 1842 करोड़ के हो गए थे। यह वह अवधि भी थी जब विभिन्न आईसीटी उपाय प्रारम्भ किए गए थे और स्वयम् निर्धारण, आरएमएस आधारित पीसीए एवं खुफिया जानकारी को प्रारम्भ किया गया और धीरे-धीरे ओएसपीसीए में परिवर्तित किया जाना था।

#### **निर्दिष्ट पण्यों की जब्ती में बढ़ती हुई प्रवृत्ति**

**1.60** वित्त वर्ष 07 से वित्त वर्ष 11 की अवधि के दौरान निर्दिष्ट पण्यों की जब्ती की संवीक्षा (**परिशिष्ट 15**) के दौरान यह देखा गया था कि अखिल भारतीय सहित डीआरआई स्तर पर निर्दिष्ट पण्यों की जब्ती की प्रवृत्ति बढ़ रही थी।

**1.61** यह देखा गया था कि अखिल भारतीय और डीआरआई स्तरों पर जब्ती की कुल राशि क्रमशः ₹ 689.16 करोड़ से बढ़कर ₹ 2475.70 करोड़ और ₹ 377.40 करोड़ से ₹ 813.6 करोड़ तक हो गई थी। अधिकतम वृद्धि मशीनरी/पुर्जे, फेब्रिक्स/सिल्क यार्न आदि, इलेक्ट्रॉनिक मर्चे, नार्कोटिक ड्रग्स एवं वाहन/पोत/एयर क्राफ्ट आदि में देखी गई थी। ऐसा टैरिफ यौक्तिकीकरण और बढ़ते हुए मुक्त व्यापार सरलीकरण एवं निगरानी के बावजूद था।

**वित्तीय वर्ष 03 से वित्तीय वर्ष 12 तक के लिए संग्रहण की लागत**

आईसीटी के स्वचलन और व्यापक उपयोग के बावजूद संग्रहण की लागत औसत दशक लागत की अपेक्षा 4.26 प्रतिशत उच्च थी।

तालिका: 1.13: वित्तीय वर्ष 03 से वित्तीय वर्ष 12 के दौरान संग्रहण की लागत ₹ करोड़

वर्ष	राजस्व, आयात/ निर्यात और व्यापार नियंत्रण कार्यों पर व्यय	आरक्षित निधि, जमा लेखा और अन्य व्यय को अन्तरण	निवारक और अन्य कार्यों पर व्यय	जोड़	सीमाशुल्क प्राप्ति	सीमाशुल्क प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में संग्रहण की लागत
वि.व. 03	131.61	270.33	0.00	401.94	44912	0.89
वि.व. 04	155.56	514.58	0.00	670.14	48629	1.38
वि.व. 05	145.42	573.10	0.00	718.52	57610	1.25
वि.व. 06	159.45	646.60	11.55	817.60	65067	1.26
वि.व. 07	152.55	687.06	10.71	850.32	86327	0.98
वि.व. 08	165.40	759.71	13.91	939.02	104119	0.90
वि.व. 09	234.56	989.28	11.65	1235.49	99879	1.24
वि.व. 10	304.38	1217.85	9.83	1532.06	83324	1.84
वि.व. 11	292.89	1420.71	4.76	1718.36	135813	1.27
वि.व. 12	306.05	1577.31	5.02	1888.38	148895	1.26
क. औसत (वि.व. 03-05)						1.17
ख. औसत (वि.व. 10-12)						1.46
ग. ख-क						0.29

स्रोत: वित्तीय लेखों से आँकड़े

**1.62** संग्रहण की लागत 1.19 प्रतिशत की औसत दशकीय लागत (तालिका 1.13) के साथ 0.89 प्रतिशत से 1.84 प्रतिशत के बीच है। वित्तीय वर्ष 03 से 05 की तुलना में वित्तीय वर्ष 10 से 12 के दौरान संग्रहण की औसत लागत स्वचालन और सूचना एवं प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग के बावजूद 0.29 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

**1.63** अपने उत्तर में डीओआर राज्यों को बाटें जाने योग्य भाज्य अंश पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली संग्रहण की लागत में वृद्धि के कारण का विश्लेषण करने को सहमत हुआ।

**लेखाकरण आधारित आन्तरिक लेखापरीक्षा अनियमितताएं**

आन्तरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट अपने जोखिम निर्धारण के अनुसार नियंत्रण आधारित आश्वासन मुहैया नहीं कराती।

**1.64** आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रधान मुख्य नियंत्रक लेखा (प्री सीसीए) द्वारा की जाती है, सीबीईसी का उद्देश्य सीबीईसी के विभिन्न भुगतान और लेखाकरण कार्यों की लेखापरीक्षा है। उसी अभिलेख को संघ वित्त लेखा जिसे भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाता है के अनुरूप मिलाया जाता है। यद्यपि आन्तरिक लेखापरीक्षा आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली का एक एकीकृत भाग है फिर भी प्री सीसीए की आन्तरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों ने 13,942 आन्तरिक लेखापरीक्षा पैराओं की लम्बन की संख्या को दर्शाया।

**1.65** प्री सीसीए द्वारा वित्तीय वर्ष 12 तक स्थापना लेखापरीक्षा के बिन्दुओं के अतिरिक्त निम्नलिखित विशिष्ट अनियमितताओं को दर्शाया गया था;

- क. 29 कार्यालयों में ₹ 692 करोड़ के न्यायनिर्णय लम्बित मामले।
- ख. ₹ 13.25 करोड़ के जब्त किए गए माल का निपटान न करना और निपटान में विलम्ब।
- ग. ₹ 22 करोड़ के सीमाशुल्क राजस्व की गैर-वसूली
- घ. बकाया की गैर-वसूली
- ङ. राजस्व क्रेडिट (₹ 2219.40 करोड़) का गैर-मिलान
- च. प्रतिदाय छूट, फिरती का गैर मिलान
- छ. निजी पार्टियों/स्वायत्त निकायों से देयों की गैर-वसूली (₹ 21.74 करोड़)

**1.66** सी.बी.ई.सी ने कहा (अप्रैल 2013) कि वेतन एवं लेखा अधिकारी इस मामले पर गौर करेंगे।

### तकनीकी लेखापरीक्षा का प्रभाव-डीजी (आडिट), सीबीईसी

**1.67** विभागीय लेखापरीखा आन्तरिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण साधन है जो अननुपालन ओर अकुशलता का पता लगाता है और कमियों पर उपचारी कार्यवाही शुरू करता है। प्रभावी निरीक्षण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए सीबीईसी ने इस इस विषय पर नये अनुदेश जारी किये। निम्न तालिका वि.व. 05 से वि.व. 10 के दौरान इस क्षेत्र में परिमाणात्मक उपलब्धियां दर्शाता है:-

तालिका 1.14 वि.व. 05 से वि.व. 10

वित्त वर्ष	आयोजित की गई लेखापरीक्षाओं की संख्या	पता लगाई गई लेखापरीक्षाओं की राशि	वसूल की गई राशि (₹ करोड़ में)	सीमा शुल्क प्राप्ति में पता लगाई गई राशि	शुल्क की राशि के रूप में उगाई गई राशि	पता लगाई गई प्रतिशतता के रूप में उगाई गई शुल्क की राशि	सीमा शुल्क प्राप्ति में प्रतिशतता के रूप में उगाई गई शुल्क राशि
वि.व. 05	25938	2094.00	280.00		3.63	13.37	0.49
वि.व. 06	28596	3846.00	581.00		5.91	15.11	0.89
वि.व. 07	64060	5046.89	894.94		5.85	17.73	1.04
वि.व. 08	71903	7503.72	1522.49		7.21	20.29	1.46
वि.व. 09	1147	260.00	74.00		0.26	28.46	0.07
वि.व. 10	2486	1025.00	232.00		1.23	22.63	0.28

स्रोत: वार्षिक प्रतिवेदन, वित्त मंत्रालय

### ईडीआई आंकलनों की गुणवत्ता

**1.68** भारतीय सीमाशुल्क इलैक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज प्रणाली (आईसीईएस) में केन्द्रीयकृत/संरचित प्रारूपों में इलैक्ट्रॉनिक ढंग से सीमाशुल्क दस्तावेज स्वीकार करना और और जानकारी का इलैक्ट्रॉनिक ढंग से आदान-प्रदान करना, अन्य एजेन्सियों के साथ सीमाशुल्क को एकीकृत करना परिकल्पित था और सीमाशुल्क अधिनियम 1962 सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (सीईटीए) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985 (सीईटीए) को कार्यान्वित करने के लिए विकसित किया गया था।

प्रणाली को इलैक्ट्रानिक डाटा इन्टरचेंज (ईडीआई) का प्रयोग करते हुए सीमाशुल्क निकासी इलैक्ट्रानिक ढंग से करने के लिए अभिकल्पित किया गया था।

**1.69** आईसीईएस की समीक्षा (2009-10 के लिए सीएजी की निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 24) आयोजित की गई थी जिसके प्रमुख निष्कर्ष ये थे; (i) प्रणाली की रूपरेखा में कमियाँ जिसके कारण अधूरे आकड़ प्राप्त होते थे परिणाम स्वरूप हस्तगत अडचने होने के कारण सीमाशुल्क का गलत उदग्रहण होता था (ii) कारोबार के नियमों का गलत चित्रण जिससे फिरती/डीईपीबी क्रेडिट की ज्यादा राशि की संस्वीकृति हो पाती थी तथा (iii) परिवर्तन प्रबन्धन नियन्त्रणों की अपर्याप्तता जिससे अधिसूचना की प्रमुख तालिकाएँ अधिक नहीं हो पाती थीं तथा "फिरती अनुसूची" का गलत अद्यतन होता था।

### लेखापरीक्षा प्रयास और सीमाशुल्क लेखापरीक्षा परिणाम

प्र. सीसीए, (पीसीए या ओएसपीएसए) द्वारा आन्तरिक लेखापरीक्षा पर आधारित लेखाओं का डीजी लेखापरीक्षा, सीबीईसी द्वारा तकनीकी लेखापरीक्षा आन्तरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता पर कोई आश्वासन प्रदान नहीं करता।

**1.70** 1994 में आईसीईएस शुरू करके सीमाशुल्क विभाग का कम्प्यूटरीकरण किया गया है और बाद में प्रणाली में मूल्यांकन, वर्गीकरण, अधिसूचना आदि पर विभिन्न जोखिम घटकों के साथ जोखिम प्रबन्धन प्रणाली शुरू करके के आईसीईएस 1.5 संस्करण तक अद्यतित किया गया है। कम्प्यूटरीकरण आयातित माल तथा निर्यातित माल की निर्धारण प्रक्रिया में सुधार करके और शुल्क की गलत गणना, गलत टैरिफ दरों को लागू करने, छूट अधिसूचनाओं को गलत रूप में लागू करने, समान्य रूप से माल के गलत वर्गीकरण की अनियमिताएं कम करना चाहता है।

**1.71** वित्त वर्ष 03 से वित्त वर्ष 12 की अवधि के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सामान्यता छः प्रकार की आपत्तियां दर्शाई गई थी जिसमें ₹ 2129.72 करोड़ वाले 1709 पैराग्राफ (तालिका 1.16) थे,

- क. गलत वर्गीकरण
- ख. छूट अधिसूचना को गलत ढंग से लागू करना;
- ग. अधिसूचना की शर्त पूरी नहीं करना;
- घ. गलत वर्गीकरण के कारण गलत छूट ;
- ङ. योजना आधारित छूट;
- च. सीमाशुल्क का गलत निर्धारण;

**1.72** वित्त वर्ष 07 से वित्त वर्ष 12 की अवधि के दौरान आयातित शीर्ष पांच वस्तुओं नामतः पेट्रोल,तेल,पॉलीमर्स, इलैक्ट्रानिकस, यार्न और फाइबर के संबंध लेखापरीक्षा आपत्तियां देखी गईं। इसी प्रकार निर्यात अभिमुखी इकाइयों/ईपीजेड/एसईजेड इकाइयों, निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल योजना, अग्रिम प्राधिकार और विशेष कृषि उपज योजना के सम्बन्ध में इसी अवधि के दौरान अनेक आपत्तियां की गई थीं।

### अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

**1.73** अनुपालन लेखापरीक्षा का प्रबन्धन पेशेवर मानकों के लेखापरीक्षा मानक के दूसरे संस्करण 2002 का प्रयोग करके नियंत्रण-महालेखापरीक्षक (सीएजी) के लेखापरीक्षा गुणता प्रबंधन ढांचा, 2009 के अनुसार किया जाता है।

### जानकारी के स्रोत और परामर्श की प्रक्रिया

**1.74** वाणिज्यिक विभाग (डीओसी) और उसकी क्षेत्रीय संरचनाओं में मूल अभिलेखों/दस्तावेजों की जांच के साथ डीओआर,सीबीईएस संघ सरकार वित्त लेखे से डाटा, सीमाशुल्क का वार्षिक डाटा डम्प (सीबीईसी) सिंगल साइन ऑन (एसएसओआईडी) आधारित अभिगम का आईसीईएस 1.5 का प्रयोग किया जाता था। सीबीईएस के एमआईएस, एमटीआर अन्य हितधारकों के रिपोर्टों के साथ प्रयोग किये गए। महानिदेशकों (डीजी)/ प्रधान निदेशकों (पीडी) लेखापरीक्षा की अध्यक्षता वाले नौ क्षेत्रीय कार्यालय हमारे पास हैं, जिन्होंने 2011-12 में 532 इकाइयों के लेखापरीक्षा का प्रबन्धन किया और ₹ 10,824 करोड़ के मूल्य की लेखापरीक्षा टिप्पणियां जारी कीं।

**1.75** अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अध्याय एक सीमाशुल्क राजस्व ढांचे समग्र सकल संघ राजस्व के सम्बन्ध में और महत्व का विश्लेषण करता है। परिणामी विषय क्षेत्र की लेखापरीक्षा की गई और अध्याय दो में प्रस्तुत की गई, जो योजना आधारित शुल्क छूट या छोड़े गए शुल्क उपशमन पर आपत्तियां प्रतिवेदन करता है जबकि अध्याय तीन गलत निर्धारण के मामले, अध्याय चार सामान्य छूट के गलत अनुप्रयोग के मामले, और अध्याय पांच माल के गलत वर्गीकरण के मामले उजागर करता है। वर्तमान प्रतिवेदन में ₹ 31.48 करोड़ के 31 पैराग्राफ हैं। हमने मार्च 2012 तक आयोजित लेखापरीक्षा के लिए 90 अन्य पैराग्राफ जारी किए थे। विभाग /मंत्रालय ने ₹ 30.80 करोड़ मूल्य के इन 90 पैराग्राफों में कारण बताओं ज्ञापन जारी करके, कारण बताओं ज्ञापनों में निर्णय करने उपचारी कार्यवाही पहले ही कर ली तथा ₹ 27.76 करोड़ की वसूली की सूचना दी।

**1.76** मार्च 2013 को कई प्रक्रियों तथा क्षेत्रों पर हमारे बताये गये निष्कर्ष और उपचारी कार्यवाही की स्थिति तालिका 1.15 में दी गई है:



**तालिका संख्या 1.15**

प्रतिवेदन संख्या	सीबीईसी, सीमाशुल्क		डीओसी	
	लम्बित एटीएन	एटीएन प्राप्त नहीं हुए	लम्बित एटीएन	एटीएन प्राप्त नहीं हुए
संख्या 1998 (सी.शु) का 10	1	-	-	-
संख्या 2005 (सी.शु) का 10	-	-	-	-
संख्या 2006 (सी.शु.,के.उ.,से.क.) का 7	1	-	5	-
संख्या 2007 (सी.शु.,के.उ.,से.क.) का 7	3	-	1	-
संख्या 2008 (सी.शु.,के.उ.,से.क.) का सीए 7	3	-	1	-
संख्या 2009-10 (सी.शु.,के.उ.,से.क.) का सीए 20	-	-	5	-
संख्या 2009-10 का 14	1	-	1	1
संख्या 24/2010-11	1	-	3	-
संख्या 2011-12 का सीए 31	6	1	7	5
<b>कुल</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>6</b>

स्रोत: सी.बी.ई.सी., वित्त मंत्रालय

**निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन**

**1.77** योजना के परिणामों के बताने के उद्देश्य से कुछ विशिष्ट प्रक्रियाओं पर निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला कि विशिष्ट निष्पादन संकेतकों और सफलता मापों के अभाव के कारण परिणाम को मापना मुश्किल था। 2004-05 से आगे प्रतिवेदनों ने सिफारिशें देने आरम्भ की गई, 74 सिफारिशें दी गई, जिनमें से 44 सरकार द्वारा स्वीकार की गई। सामान्यता पेशेवर लेखापरीक्षा मानक और निष्पादन लेखापरीक्षा के दिशानिर्देश 2004 को अपनाते हुए योजना के निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए पांच वर्ष की अवधि ली जाती है। वित्तीय वर्ष 2002 से वित्तीय वर्ष 2012 की अवधि के दौरान की गई, निष्पादन समीक्षाएं **परिशिष्ट 16** में दी गई है।

**लोक लेखा समिति**

**1.78** पीएसी ने चर्चा के लिए 10 समीक्षाएं (आंशिक या पूर्ण) उठाई है, जिसमें से तीन समीक्षाओं पर की गई कार्यवाही टिप्पणी तैयार की गई है। सभी विषयों पर एसईजेड पर पीएसी द्वारा व्यापक चर्चा हुई, जिस पर एटीआर प्राप्त हुआ है, पीएसी सिफारिशें कर नीति, प्रशासन और अपर्याप्त मॉनीटरिंग के साथ-साथ अंतर मंत्रालयी समन्वय परिणाम योजना के मामलों में भी ऐसा पाया गया है।

**सीएजी की लेखापरीक्षा, राजस्व प्रभाव/लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई**

**1.79** गत दस लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में (वर्तमान वर्ष के प्रतिवेदन सहित); हमने ₹ 2129.73 करोड़ के 1709 लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल किए थे (**तालिका 1.16**)। सरकार ने इनमें से ₹ 1177.03 करोड़ वाले 1390 लेखापरीक्षा पैराग्राफों के निष्कर्षों को स्वीकार किया और ₹ 156.89 करोड़ की वसूली की। ब्यौरे निम्नांकित तालिका में दर्शाए गए है:

तालिका 1.16 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

वर्ष	शामिल किए गए पैराग्राफ		स्वीकृत पैराग्राफ						की गई वसूली (₹ करोड़)					
			मुद्रण से पूर्व		मुद्रण के बाद		जोड़		मुद्रण से पूर्व		मुद्रण के बाद		जोड़	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
वि.व 03	252	222.42	165	132.23	16	0.6	181	132.83	106	8.70	16	0.60	122	9.30
वि.व 04	251	941.10	177	94.44	11	494.84	188	589.28	128	10.06	23	1.59	151	11.65
वि.व 05	256	355.79	178	45.41	5	0.87	183	46.28	122	4.13	5	0.87	127	5.00
वि.व 06	139	63.22	74	25.92	38	6.84	112	25.92	49	11.69	36	5.93	85	17.62
वि.व 07	133	121.99	94	105.18	25	8.15	119	113.33	57	7.32	25	2.31	82	9.63
वि.व 08	182	96.50	137	37.83	27	5.51	164	43.34	80	9.85	22	4.08	102	13.93
वि.व 09	133	56.20	101	33.75	23	10.89	124	44.64	68	16.54	18	3.30	86	19.84
वि.व 10	124	79.62	102	32.71	7	2.35	109	35.06	63	18.01	3	0.37	66	18.38
वि.व 11	118	130.61	102	98.68	14	11.81	102	98.68	56	17.81	3	4.07	59	21.88
वि.व 12	121	62.28	108	47.67	लागू नहीं		108	47.67	79	29.66	लागू नहीं		79	29.66
<b>जोड़</b>	<b>1709</b>	<b>2129.73</b>	<b>1238</b>	<b>653.82</b>	<b>166</b>	<b>541.86</b>	<b>1309</b>	<b>1177.03</b>	<b>808</b>	<b>133.77</b>	<b>151</b>	<b>23.12</b>	<b>959</b>	<b>156.89</b>

स्रोत: सीएजी, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन